भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *35

(जिसका उत्तर 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले

35. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान बैंकों के जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के मामले बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार को सूचित किये गये ऐसे चूककर्त्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे चूककर्त्ताओं से निपटने की सरकारी नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों/केंद्र सरकार द्वारा ऐसे चूककर्त्ताओं से कितनी धनराशि वसूल की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

'जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले' के संबंध में कुँवर पुष्पेन्द्रसिंह चन्देल और श्रीश्रीरंगआप्पा बारणे द्वारा पूछे गए 24 जून, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्नसंख्या *35 के भाग (क) से (घ) के उत्तरमें उल्लखित विवरण।

(क) से (घ): वर्गित पांच वित्तीयवर्षके दौरान राष्ट्रीयकृतबैंकों द्वारा घोषित इरादतन चूककर्ताओंका विवरण अनुबंध में है।

इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीयकृतबैंकों द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.3.2019 तक, 8,121 मामलों में वसूली हेतु मुकदमें दर्ज किए गए हैं। जिन मामलों में प्रतिभूति आस्तियों संलग्न थी, ऐसे 6,251 मामलों में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तनअधिनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त, जहां आवश्यक हो वहां आपराधिक कार्यवाहियांप्रारंभकरने के आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार, 2,915 मामलों में एफआईआर दर्जकी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, इरादतन चूककर्ताओं को रोकने के लिए आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओंको बैंकों या वित्तीयसंस्थानों द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधाएं मंजूर नहीं की जाती हैं और उनकी यूनिट को पांच वर्ष के लिए नए उपक्रम चलाने से प्रतिबिंधित कर दिया जाता है। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमिय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रिहण) (दूसरा संशोधन) विनियिम, 2016 के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं और ऐसी कंपनियों जिनके प्रवर्तक/निदेशकइरादतन चूककर्ता हों, को निधियां एकत्र करने के लिए पूंजी बाजार में जाने से प्रतिबिंधित किया जाता है। इसके अलावा, दिवाला और शोधन अक्षमतासंहिता, 2016 ने इरादतन चूककर्ताओंको दिवाला समाधान प्रक्रियामें भाग लेने से प्रतिबिंधित किया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय क्षेत्राधिकारसे भागने वाले इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाईकरने के लिए, भगोड़े आर्थिकअपराधी की संपत्तिकी जब्त करने, ऐसे अपराधी की संपत्तिकी कुर्क करने तथा किसी भी सिविल दावे की पैरवी करने से ऐसे अपराधी को अपात्र बनाने के लिए भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियिम, 2018 को लागू किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने सार्वजनिकक्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार एवं अपनी बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार इरादतन चूककर्ताओंकी फोटो प्रकाशित करने पर विचार करने और 50 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों/निदेशकोंतथा अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की सत्यापित प्रतिप्राप्त करने की सलाह दी है। पीएसबी के प्रमुखोंको भी लुक आउट सर्कुलर(एलओसी) जारी करने के लिए अनुरोध करने का अधिकार दिया गया है।

राष्ट्रीयकृतबैंकों द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार, वर्गित पांच वित्तीयवर्षके दौरान इरादतन चूककर्ताखातों से 7,654 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।

***

अनुबंध

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित आंकड़े

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के अंत तक घोषित इरादतन चूककर्ताओं की कुल संख्या (पिछले वर्ष में घोषित इरादतन चूककर्ताओं सहित)
2014-15	5,349
2015-16	6,575
2016-17	7,079
2017-18	7,535
2018-19	8,582

स्रोत:बैंक

***